प्रकरण प्रार्थी उपस्थित मूल दावा प्रायपत्रित
डिक्री निष्पादित जा चुकी है और इस प्रार्थना
पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली
पैरवी प्रमाण बिना नकल के क्रम छोड़ कर
तरमीम जाकर मूल दावा में लगाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.05 11:01:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner